न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता), श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 9/16

श्रीमती दीपो पुत्री मेहरसिंह पत्नी भजनसिंह जाति मजबी निवासी 12 एच मोहल्लां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार, केसरीसिंहपुर।
2. दर्शनसिंह
3. गुरमेलसिंह
4. जसमेलसिंह

पिसरान सरवनसिंह जाति मजबीसिख सकनाए 5 ए छोटी मौजपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : 1. श्री चरणदास कम्बोज, Ad. अपीलार्थिया.
2. " शिव प्रकाश कालड़ा, Ad. रेस्पो० सं० 2 से 3
3. " जरनैल सिंह ढुसा, Ad रेस्पो० सं० 4

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध इंतकाल सं0 595 दिनांक 17-6-15

आदेश

दिनांक : 18/7/18

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थिया के पिता मेहरसिंह को भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से जीवों के आधार पर जिसमें मेहरसिंह स्वंय, उसकी पत्नी भगवानकौर व दो पुत्रियों अपीलार्थिया दीपो व उसकी बहन स्व0 सीबो कुल चार जीवों के आधार पर चक 23 एच तहसील श्रीकरणपुर के मु0 नं0 5 के 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि अलॉट हुई थी। अपीलार्थिया की माता व बहन सीबो का देहान्त हो चुका है। अपीलार्थिया की शादी भजनसिंह के साथ हुई थी, जो जीवित है तथा अपने हिस्से की भूमि 6 बीघा को हिस्सा ठेके पर काश्त करवाती आ रही है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 4 के मन में लालच आ जाने के कारण अपीलार्थिया को सरवनसिंह की पत्नी होना दिखला कर व उसकी मृत्यु दिनांक 1-3-93 को होना दिखला कर, गलत वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त करके पटवारी हल्का व उप तहसीलदार, केसरीसिंहपुर से मिलीभगत करके अपीलाधीन इंतकाल अपने नाम से करवा लिया जबकि अपीलार्थिया जीवित है और अपनी कृषि भूमि की देखभाल करती आ रही है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 4 ने अपीलार्थिया की कृषि भूमि में कब्जा करने की कोशिश की, रोकने पर कहा कि भूमि का इंतकाल उन्होने अपने नाम करवा लिया है। अपीलाधीन इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलाधीन इंतकाल के

Scanned by CamScanner

कॉलम सं0 16 में पटवारी हल्का ने जॉच का कथन किया है, जबकि जॉच नहीं की गई है बल्कि मिलीभगत से अपीलाधीन इंतकाल पारित करवाया गया है। अपीलार्थिया के जीवित होते हुए उसका मृत्यू प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र जो बनाया गया है, वह कूटरचित है। अपीलार्थिया जीवित है तथा 12 एच मोहलां में निवास कर रही है। अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व लैण्ड रेकार्ड रूल के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा न ही कानूनी प्रकिया एवं न्यायिक प्रकिया अपनाई गई है। जीवित व्यक्ति को मृत दिखला कर , गलत रेकार्ड बनवाया जाकर अपीलाधीन इंतकाल पारित किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व न तो नोटिस जारी किया गया है और न ही मजमें आम में कोई जॉच की गई है तथा न ही समाचार पत्र के माध्यम से कोई आपति सूचना प्रकाशित की गई है। अपीलार्थिया की बहन सीबो का देहान्त हो चुका है और उसके नाम से भी रकबा दर्ज किया जा चुका है। रेस्पो0 सं0 2 से 4 का अपीलार्थिया से कोई संबंध नहीं है। अपीलार्थिया के पति का नाम भजनसिंह है। अपीलार्थिया को सक्षम जब तक सक्षम न्यायालय से मृतक घोषित नहीं करवाया जाता है तब तक उसकी भूमि का इंतकाल काननून किसी के नाम नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपील के माध्यम से अपीलार्थिया द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 26–5–15 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थिया के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अपीलार्थिया जीवित है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 4 ने मिलीभगत करके अपीलार्थिया को मृतक घोषित करा कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करा लिया है। अपीलार्थिया के पति का नाम भजनसिंह है जबकि अपीलाधीन इंतकाल में सरवनसिंह के वारिसों के नाम इंतकाल चढाया गया है। हल्का पटवारी ने मौके व कब्जे बाबत जॉच नहीं की गई। अतः अपीलाधीन इंतकाल विधिविरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि दीपो का देहान्त 1983 में हो चुका है। मेजरसिंह जो भजनसिंह का पुत्र है, जिसे अपीलार्थिया अपील मीमो में भजनसिंह को अपना पति बता रही है, द्वारा धारा 156 सीआर0पी0सी0 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसपर एफ आई आर सं0 127/16 दर्ज हुई थी। बाद अनुसंधान पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा एफ आर लगा दी गई, जिसमें यह माना गया कि जसमेलसिंह, गुरमेलसिंह एवं दर्शनसिंह दीपो के जायज वारिस हैं। जसमेलसिंह वगैरा ने मेजरसिंह के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की है। अतः अपीलार्थिया की अपील सारहीन है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

Scanned by CamScanner

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि मेजरसिंह जो अपीलार्थिया का पुत्र है, के द्वारा जसमेलसिंह वगैरा के खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमें में आपस में रिस्तेदारों द्वारा समझौता करवाये जाने के कारण व आपस में निजी रिस्तेदारी होने के कारण व जमीन का हिस्सा लेने के कारण कारो को दीपो लिख कर दे दिया था, जब परिवादी मेजरसिंह को पता चला कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमें में एफ आर स्वीकृत हो गई है तो जसमेलसिंह द्वारा लिखित में दिये गये शपथ पत्र का फायदा उठाकर प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अभिलेख से यह भी विदित होता है कि मेजरसिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफ आई आर में एफ आर लगा दी गई है। इस प्रकार पारिवारिक विवाद होने के कारण अपीलाधीन इंतकाल से विवाद उत्पन्न हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की जॉच नहीं की गई है कि वास्तविक दीपो कौन है तथा विवादित भूमि के मौके तथा कब्जे की जॉच अपीलाधीन इंतकाल को पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। अतः उक्त बिन्दुओं पर जॉच हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलार्थिया आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 595 दिनांक 17–6–15 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, केसरीसिंहपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को विधिवत् साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 7–8–18 को उपस्थित हों।

आदेश आज दिनांक 18–7–18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner